यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलोदी

पिठासीन अधिकारी :– अमिता विश्नोई (आर.ए.एस.)

करण संख्या :– 171 / 2018
ms No. 2018/00009

प्रार्थीगण — वनाम — अप्रार्थीगण

समाराम पुत्र श्री अनाराम
भंवरलाल पुत्र श्री अनाराम
रमेश पुत्र श्री अनाराम
कमलकिशोर पुत्र श्री लूणाराम
सत्यनारायण पुत्र श्री लूणाराम
अशोक पुत्र श्री लूणाराम नावा.
वली माता पतासी
पतासी पत्नी श्री लुणाराम
आईदान पुत्र श्री पेमा
चुना पुत्र श्री पेमा
तुलछा पुत्र श्री पेमा
गेना पुत्र श्री पेमा
चिमाराम पुत्र श्री नरसिंगाराम
भींयाराम पुत्र श्री नरसिंगाराम
फुसाराम पुत्र श्री नरसिंगाराम
लाखाराम पुत्र श्री नरसिंगाराम
श्रवणकुमार पुत्र श्री नरसिंगाराम
गोमती देवी पत्नी नरसिंगाराम
जातियान कुम्हार निवासीगण ग्राम
पूनासर खुर्द तहसील बापिणी,
जिला जोधपुर।

1. नवलाराम पुत्र श्री जेठाराम
2. वाबुलाल पुत्र श्री नेनाराम
   जातियान कुम्हार निवासी ग्राम
   पूनासर तहसील बापिणी, जिला
   जोधपुर।
3. श्रीमान् तहसीलदार बापिणी

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–
वक्ता प्रार्थी :– श्री घेवरराम विश्नोई।
वक्ता अप्रार्थीगण सख्या :–(1) दिनेश मदेरणा।
वक्ता अप्रार्थीगण सख्या :–(2) ओर से कोई नहीं।
वक्ता अप्रार्थीगण सख्या:– (3) राज–पैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 7 /10/ 2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तहसील णी के राजस्व ग्राम पुनासर खुर्द के खसरा नम्बर 532 रकबा 3.1323 हैक्टेयर की स्थित था प्रार्थीगण की उक्त खसरें भूमि के आगे अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 1059 / 1 रकबा 2.7114 हैक्टेयर की जमीन आई हुई है। प्रार्थीगण को अपनी दारी भूमि खसरा नम्बर 532 से खसरा नम्बर 1059 / 1 में से आगे चल रही डामर तक

सहायक कलेक्टर बापिणी

ागमन के लिए कोई रास्ता नही होने से प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 01 व ... र्थीगण के नाम की जमीन खसरा नम्बर 1059/1 में से मार्ग राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाने लिए निवेदन किया। लेकिन अप्रार्थीगण ने रास्ता दिये जाने से साफ इन्कार कर दिया। कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हत प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरीये समन तलब किया अप्रार्थीगण को भेजे गये समन की डाक रसीद न्यायालय में पेश की। जो शामिल मिसल यी। अप्रार्थीगण 01 की ओर से अधिवक्ता दिनेश मदेरणा ने उपस्थित हो कर जबाब पेश तथा अप्रार्थीगण संख्यां 02 को सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर देने के बावजुद की कोई थत नहीं हुऐ।

प्रकरण में तहसीलदार बापिणी से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार ी की ओर से दिनांक 08.01.2019 को मौका जांच कर रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थीगण 02 को लम्बा समय एवं अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश करने में असफल रहे नुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण संख्यां 02 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी तहसीलदार बापिणी से पुनः मौका रिपोर्ट तलब करने पर दिनांक 20.06.2025 की फर्द जांच रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 09.09.2025 को इस न्यायालय को प्रस्तुत हुई जो शामिल की गयी। पत्रावली अन्तिम बहस के लिए मुकरर की गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में मन का कोई वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। तथा रास्ता नहीं होने से ीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी में से रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। लेकिन ीगण ने इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आवागमन के लिए डामर सडक प्रार्थीगण भूमि में से ही निकटतम रास्ता पड़ता है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में ामन के लिए भारी समस्याओ का सामना करना पड़ता है। तथा मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट प्रार्थीगण को आवागमन के लिए रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में से सर्वाधिक निजदीक पयोगी रहेगा। ओर कोई दुसरा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। इसलिए प्रार्थीगण का ा पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया जावें।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना उस पर मनन गया। पत्रावली का गहन अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 532 से खसरा नम्बर 1059/1 में से आवागमन के लिए कोई ल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं पाया गया। प्रार्थीगण को रास्ता की आत्यधिक आवश्यकता है। ीलदार बापिणी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 532 से 1059/1 में से ागमन के लिए सडक मार्ग से बिच में अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1059/1 में से सर्वाधिकत टतम रास्ता पड़ता है। इस प्रकार यहां पूर्ण सन्तुष्ठी पाई हैं । कि प्रार्थीगण के आवागमन लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ओर चहा गया रास्ता कटाण मार्ग से सर्वाधिक निकटतम र प्रार्थीगण को रास्ता की अति आवश्यकता है। इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी नियम के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार जाता है। तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम पुनासर में स्थित प्रार्थीगण के खसरा नम्बर से ग्राम पीथासर के खसरा नम्बर 1059/1 में से आवागमन के लिए अप्रार्थीगण संख्यां 02 की खातेदारी भुमि खेत खसरा नम्बर 1059/1 रकबा 2.7114 हैक्टेयर में से 20 फीट

सहायक कलेक्टर बापिणी

मार्ग दिनांक 20.06.2025 की फर्द मौका रिपोर्ट में दर्शाये मार्क सी, ई तक 180 मीटर रास्ता अप्रार्थीगण संख्यां 01 व 02 को प्रचलित डिएलसी राशि की दुगनी राशि प्रतिकर प में स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार बापिणी को आदेश दिया जाता है । कि फर्द रिपोर्ट में दर्शाये मार्क डी, ई बिन्दु तक 20 फीट चौड़ाई के अनुसार 180 मीटर लम्बाई णना करने के पश्चात रास्ते के रकबें की डिएलसी राशि की दुगनी राशि प्रार्थीगण द्वारा कर दिये जाने के बाद अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के खसरा नम्बर 1059/1 मे से कम जाकर रास्ता का अंकन राजस्व रेकॉर्ड में राज हक के पक्ष में किया जावें एवं नक्शा में की तरमीम की जावें। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2025 को बनाई जो इस निर्णय ग रहेगा। तहसीलदार बापिणी को निर्णय पालनार्थ तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7/10/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बापिणी

अमित विश्नोई (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर बापिणी